

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

लखनऊ।

पत्र सं०: न-42/एफएस-17

दिनांक:- जून 6, 2017

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल,
सेक्टर-18, इन्दिरानगर,
लखनऊ।

विषय-

डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल सेक्टर 18 इन्दिरानगर, लखनऊ को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक-शून्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक स्कूल भवन का एन०बी०सी०-2005 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, इन्दिरानगर द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनके आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

भवन की संरचना-

- 1-निर्मित भवन का कुल प्लॉट एरिया- 4451.00 वर्गमीटर।
 - भूतल का कवर्ड एरिया- 455.00 वर्गमीटर।
 - प्रथम तल का कवर्ड एरिया- 455.00 वर्गमीटर।

2-स्कूल भवन की ऊँचाई-06.30 मीटर

ढाँचागत संरचना-

- 1-पहुँच मार्ग-विद्यालय भवन के सामने 12.00 चौड़ा रोड उपलब्ध है।
- 2-सेटबैक-सामने 06.00 मीटर, पीछे 06.00 मीटर, पार्श्व भाग एक 06.00 मीटर व पार्श्व भाग द्वितीय 06.00 मीटर उपलब्ध है।
- 3-प्रवेश द्वार-प्रवेश द्वार की चौड़ाई-04.50 मीटर है।
- 4-निकास मार्ग-भवन में एक स्टेयर केस 01.50 मीटर चौड़ी उपलब्ध है।

अग्निशमन व्यवस्थाये-

- 1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)-विद्यालय भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आईएस-2190-2010 के अनुसार कार्यशील दशा में मानक के अनुसार स्थापित है।
- 2-फायर बकेट-विद्यालय भवन में 12 अदद फायर बकेट अधिष्ठापित है।
- 3-पी०ए० सिस्टम-भवन में पी०ए० सिस्टम की व्यवस्था उपलब्ध है।
- 4-एक्जिट साइनेज-भवन में प्रवेश व निकास मार्गों में एक्जिट साइनेज किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, इन्दिरानगर लखनऊ की आख्या एवं संस्तुति के आधार डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल सेक्टर 18 इन्दिरानगर, लखनऊ को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है-

- 1- भवन स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
- 2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाँफ नियुक्त किया जाय।
- 3- किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य एवं द्वितीय तल का प्रयोग कराये/किये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाये में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
- 5- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कोषरत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

D.A.V. Public School

Sector-18, Indira Nagar, Lucknow

D.A.V. PUBLIC SCHOOL

SECTOR-18, INDIRA NAGAR

LUCKNOW

अग्निशमन विभाग

लखनऊ

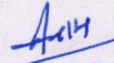
(2)

- 6- वर्ष में एक बार अग्निशमन उपकरणों के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7- विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है इन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को नहीं बैठाया जायेगा।
- 8- विद्यालय में भोजन एवं मिड डे मिल आदि भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टीन शेड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जायेगा।
- 9- विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- 10- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी की होगी।
- 11- उक्त शर्तों/निर्देशों का उल्लंघन होने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा का अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


06/06/2017
(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी, इन्दिरानगर को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु प्रेषित।


Principal
D.A.V. Public School
Sector-18, Indira Nagar, Lucknow


MANAGER
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
SECTOR-18, INDIRA NAGAR
LUCKNOW


प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
बाराबंकी

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated:

Certified that the DAV PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) at SECTOR 18, Indira Nagar (address) comprised of Ground floors basement(s) and 1 (upper floors) owned/occupied by DAV PUBLIC SCHOOL

(name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on.....(date of inspection) in the presence of (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class IX with effect from..... for a period of years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on at by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal :

Name :

Designation :

(Signature)
(यू.एन. विद्यालय)
अग्नि प्रमन अधिकारी
इन्दिरा नगर, लखनऊ

To

DAV PUBLIC SCHOOL
SECTOR - 18
INDIRA NAGAR, Lucknow

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to (reasons to be recorded).

Vibb
Principal
D.A.V. Public School
Sector-18, Indira Nagar, Lucknow

84
A. H.
MANAGER
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
SECTOR-18, INDIRA NAGAR
LUCKNOW

(Signature)
नगरपालिका
उपनिवेश विभाग
लखनऊ